

कार्यालय
अधिशाली अभियन्ता,
पीएमजीआई-सिंचाई खण्ड
कोटद्वार (गढ़वाल)

Phone : 01382- 224570
Fax : 01382- 229847
Email: eepmgsykotdwar@rediffmai

पत्रांक 593 / वन भूमि

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी
भूमि संरक्षण वनप्रभाग
लैन्सडौन

दि 18/June/2019

विषय:- प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत जनपद पौड़ी गढ़वाल में प्रस्तावित मस्टखाल से सीलाडांडा मोटर मार्ग पर लगी आपत्तियों के सम्बन्ध में।

संदर्भ:- भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय (उत्तर- केन्द्रीय क्षेत्र) 25 सुभाष रोड, देहरादून के पत्रांक 8बी/यू0सी0पी0/06/15/2019/एफ0सी0/171 दिनांक 01.05.2019 एवं 8बी/यू0सी0पी0/06/15/2019/एफ0सी0/2244 दिनांक 20.02.2019 के द्वारा लगायी गयी आपत्तियों के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र के क्रम में अवगत कराना है कि उक्त मोटर मार्ग पर भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय (उत्तर- केन्द्रीय क्षेत्र) 25 सुभाष रोड, देहरादून के द्वारा 16 आपत्तियों लगायी गयी थी। तत्समय याचक विभाग एवं वन विभाग के द्वारा उक्त 16 आपत्तियों का निस्तारण करते हुये राज्य सरकार के माध्यम से भारत सरकार को भेजी गयी थी। जिसमें पुनः कतिपय 6 आपत्तियों भारत सरकार द्वारा लगायी गयी है। सम्बन्धित आपत्तियों का ऑनलाईन निस्तारण करते हुये अग्रिम कार्यवाही हेतु निम्नतालिकानुसार प्रेषित किया जा रहा है। कृपया अन्य सम्बन्धित आपत्तियों का निराकरण करने की कृपा करें।

क्रम सं०	आपत्ति	बिन्दुवार निस्तारण विवरण (ऑनलाई जिस पार्ट में किया गया है)
1	In reply to point No. 03 & 07 Still photocopy for FRA and geologist report is uploaded Action Required: State Govt. may upload the original FRA and geologist report online at designated places.	K. Status of settlement of rights under the Forest Rights Act, 2006 on the forest land proposed to be diverted Upload a copy of documentary evidence in support of settlement of rights under the Forest Rights Act, 2006 on the forest land proposed to be diverted & Additional Information (if any) Geologist Report
2	Reply to point No 05 & 14 still not corrected. Action Required: State Govt. may provide correct data in respect of point No 05 & 14 of EDS dt 20-02-2019	प्रभागीय वनाधिकारी लैन्सडौन स्तर से कार्यवाही होनी है।
3	In reply to point No. 06, certificate of work not state is not c/s by DFO Action Required: State Govt. may submit work not start certificate duly countersigned by DFO	प्रभागीय वनाधिकारी लैन्सडौन स्तर से कार्यवाही होनी है।

Executive Engineer
P.M.G.S.Y.I.D.
Kotdwar-Pauri Garhwal

4	Reply to point No 09 of EDS dt 20-02-2019 has not been submitted. Action Required: State Govt. may submit muck disposal plan providing full detail of total muck proposed to be generated, its utilization/management	Additional Information (if any) Muck Disposal plan photograph
5	In the proposal 16 points were raised vide EDS dt 20.02.2019 but State Government has submitted reply to only 14 points. Action Required: State Govt. may submit details in this regard and the needful.	फॉरेस्ट नोडल देहरादून स्तर से कार्यवाही की जानी है।
6	सन्दर्भित पत्र में प्रस्तुत तालिका में अंकित प्रश्न एवं उत्तर में mismatch है। Action Required: State Govt. may do the needful in the regard.	फॉरेस्ट नोडल देहरादून स्तर से कार्यवाही की जानी है।

संलग्न:- आपत्तियों का निस्तारण की छायाप्रति।

अधिशाली अभियन्ता
पी0एम0जी0एस0वाई0- सिंचाई खण्ड
कोटद्वार (गढ़वाल)
/ दिनांक

पत्रांक / वन भूमि

प्रतिलिपि:- अपर प्रमुख वन संरक्षण एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण इन्दिरा नगर फॉरेस्ट कॉलोनी, देहरादून को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि:- सहायक अभियन्ता - षष्ठम पी0एम0जी0एस0वाई0सिंचाई खण्ड कोटद्वार को इस निदेश के साथ प्रेषित कि प्रभागीय वनाधिकारी भूमि संरक्षण लैन्सडौन को संलग्न मूल प्रति उपलब्ध करवाये एवं Form A, part II. में लगी आपत्तियों जिनका निराकरण प्रभागीय वनाधिकारी भूमि संरक्षण वन प्रभाग लैन्सडौन से होना है, का निराकरण करवाते हुये इस कार्यालय को सूचित करे।

अधिशाली अभियन्ता,
पी0एम0जी0एस0वाई0- सिंचाई खण्ड
कोटद्वार (गढ़वाल)